न्यायालय उपखंड अधिकारी एवम उपजिला मजिस्ट्रेट अराई अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2020

लादू बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

1. लादू पुत्र उंकार उम्र 70 साल
2. श्रवण पुत्र उंकार उम्र 60 साल
3. गोपाल पुत्र रामकरण उम्र 35 साल
4. छोटू पुत्र रामकरण उम्र 32 साल
5. बरजी बेवा रामकरण उम्र 70 साल
6. रामचन्द्र पुत्र रघुनाथ उम्र 57 साल
7. नन्दा पुत्र गोगा उम्र 35 साल

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. प्रताप पुत्र माधू जाति जाट निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

दिनांक 08/8/25

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री रामदेव गुर्जर ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि ग्राम झाडौल तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 95 रकबा 09 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 96 चाह, तथा खसरा संख्या 97 रकबा 10 बीस्वा स्थित है। इस आराजी के चाह संख्या 96 में जो कुंआ दिखाया गया है जो राजस्व ट्रेस भू–सेटलमेन्ट में ए से बी स्थान पर तरमीम की गई है वह कुये से 06 गठ्ठे दूर की गई है जो सही है इसी प्रकार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र में [illegible] आराजी चाह नम्बर 96 है जो एकीकरण राजस्व ट्रेस में जो तरमीम सी से डी की गई है [illegible] है एवं ई से एफ जो तरमीम की गई है वह सही है जो प्रार्थीगण की जारी [illegible] बुक में ट्रेस सेटलमेन्ट में जो ए से बी व एकीकरण राजस्व ट्रेस में ई से एफ है जो सही है। इसके अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान राजस्व ट्रेस में तरमीम को दुरूस्त कर सही कराने के अधिकारी है। यह है कि प्रार्थीगण की आराजी चाह संख्या 96 के छूति हुई समीप वर्तमान ट्रेस में तरमीम कर रखी है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

दुरूस्त किये जाने योग्य है। चुंकि चाह के छूति हुई तरमीम की है वह गलत है, भू सेटलमेन्ट में चाह के समीप तरमीम की है वह लगभग 06 गठ्ठे दूर की गई है जो स्थान ए से बी दर्शाया गया है जो सही है एवं एकीकरण ट्रेस में भी सी से डी स्थान में गलत तरमीम है एवं ई टू एफ जो स्थान दर्शाया गया है वह सही है इसीलिये वर्तमान राजस्व ट्रेस में चाह नम्बर 96 के समीप जो तरमीम की गई है उसको दुरूस्त कर भू सेटलमेन्ट ट्रेस में जो ए से बी स्थान व एकीकरण ट्रेस में ई से एफ स्थान दर्शाया गया है इसके अनुसार इतनी दूरी पर पुनः तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पटवार क्षेत्र झाडौल के चाह संख्या 96 राजस्व ट्रेस के पास जो तरमीम है जो भू सेटलमेन्ट के नक्शे में स्थान ए से बी व एकीकरण खसरा संख्या में दर्शाया गया है ई से एफ के अनुसार वर्तमान राजस्व ट्रेस में तरमीम करने के आदेश प्रदान करावे।

2. प्रकरण को दिनांक 26.08.2010 को दर्ज क्रमांक 116/2010 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 26.08.2011 को पैरोकार सरकार जवाब पेश हुआ। पैरोकार सरकार जवाब में उन्होनें जाहिर किया कि राजस्व मानचित्र संवत 2008, एकीकरण एवं संवत 2027 का मिलान कर अवलोकन किया जाने पर इनमें से किसी प्रकार की कोई तरमीम सम्बन्धी अन्तर नहीं पाया गया है इस कारण नक्शे में तरमीम शुद्धि की कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। कोई गलत तरमीम नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. दिनांक 16.11.2011 को वकील प्रार्थी ने गवाह लादू, छोटू, जगदीश, श्रवण के शपथ पत्र पेश किये जिनके बयान अंकित किये गये। दिनांक 02.03.2012 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा प्रताप पुत्र माधू जाति जाट को अप्रार्थी संख्या 02 के रूप में संयोजित किया गया। जुलाई 2020 में पत्रावली नवसृजित उपखण्ड न्यायालय अरांई में प्राप्त होने से प्रकरण संख्या 39/2020 पर दर्ज की गई। दिनांक 19.07.2024 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. पर बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा प्रकरण व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:35:45 IST
Reason: SelfAttested

5. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादअधीन भूमि में नक्शे में हुई त्रुटि को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था, प्रार्थी ने जो नक्शा पत्रावली में पेश किया है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा अपठनीय है। साथ ही नक्शा किस खसरे

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

का है, कितना रकबा है यह नक्शे से स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार अरांई द्वारा उनकी रिपोर्ट में अंकित किया गया है " राजस्व मानचित्र संवत 2008, एकीकरण एवं संवत 2027 का मिलान कर अवलोकन किया जाने पर इनमें से किसी प्रकार की कोई तरमीम सम्बन्धी अन्तर नहीं पाया गया है इस कारण नक्शे में तरमीम शुद्धि की कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। कोई गलत तरमीम नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।" उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:35:45 IST
Reason: SelfAttested